न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः- 58/अ-59/2017-18/ 5557 बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 25 तहसील बैतूल द्वारा नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ी साँवलीगढ़ वृत्त) के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम पंचायत खेड़ीसॉवलगढ़ जनपद पंचायत बैतूल द्वारा मौजा अखतवाड़ा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 65 रकबा 2.112 हेक्टेयर मद शासकीय रास्ता की भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मौके पर रास्ता बहुत अधिक चौड़ा है तथा मकान बने होने के पश्चात् भी रास्ते में आवागमन किसी भी तरह से बाधित या प्रभावित नहीं होता है। अतः उक्त खसरा नंबर में से 0.100 हेक्टेयर को आबादी घोषित किया जा सकता है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ी साँवलीगढ़ वृत्त) द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा अखतवाड़ा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 65 रकबा 2.112 हेक्टेयर मद रास्ता को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 10-2-2018 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 02 पारित किया जाकर मौजा अखतवाड़ा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 65 रकबा 2.112 हेक्टेयर मद रास्ता की भूमि पर निवासरत् परिवारो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए उक्त भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा अखतवाड़ा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 65 रकबा 2.112 हेक्टेयर भूमि शासकीय रास्ता रास्ता मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 में उक्त खसरा नंबर सड़क व रास्ता मद में दर्ज तथा निस्तार पत्रक के अनुसार उक्त खसरा नंबर स्थायी कच्ची सड़क मद में दर्ज है।

(4)- नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसाँवलगढ़ वृत्त) द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्राम पंचायत खेड़ीसॉवलीगढ़ द्वारा ग्राम अखतवाड़ा (वीरान) की शासकीय भूमि पर वर्षो से निवासरत् ग्रामवासियो को भूखण्ड धारक प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु खसरा नंबर 65 रकबा 2.112 हेक्टेयर में से 0.100 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने हेतु विशेष ग्राम सभा दिनांक 10-2-2018 को आयोजित करके प्रस्ताव पारित किया गया है। मौके पर रास्ता बहुत अधिक चौड़ा है, आबादी घोषित किये जाने के उपरांत भी आवागमन बाधित नहीं होगा। उक्त तथ्यो के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा मौजा अखतवाड़ा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 65 रकबा 2.112 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.100 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है । नायब तहसीलदार बैतूल के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा भी उपरोक्तानुसार भूमि को आबादी घोषित करना प्रस्तावित किया गया है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसाँवलगढ़ वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा अखतवाड़ा तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 65 रकबा 2.112 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.100 हेक्टेयर भूमि जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 58/अ-59/2017-18/ 5557 बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
2- नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसाँवलगढ़ वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत खेड़ीसाँवलीगढ़ जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.